# न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला झांसी।

परिवाद संख्या – 53/2017

**श्रीमती भारती देवी** **बनाम** **राजेन्द्र प्रसाद आदि।**

थाना– टहरौली,

जिला– झांसी।

**दिनांकः 06.01.2018**

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी पर सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी श्रीमती भारती देवी की ओर से यह परिवाद, विपक्षीगण राजेन्द्र प्रसाद, दुर्जन, श्रीमती जशोदा, हरिशचन्द्र व कु0 सीमा के विरुद्ध यह कहते हुये प्रस्तुत किया गया है कि परिवादिनी की शादी हिन्दू रीतिरिवाज से राजेन्द्र प्रसाद के साथ दिनांक 24.06.2012 को संपन्न हुई थी। शादी में परिवादिया के माता–पिता ने अपने सामर्थ के मुताबिक दान दहेज एवं करीब 4 लाख रुपये नगद दिये थे। परन्तु विपक्षीगण शादी में दिये गये दान दहेज से संतुष्ट नहीं हुये तथा एक मोटर साइकिल व एक लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर मारपीट करने तथा प्रताड़ित करने लगे तथा कहने लगे कि यदि दहेज की मांग पूरी न हुई तो जान से मार देगें। घटना की सूचना थानाध्यक्ष, टहरौली एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी को देने पर कोई कार्यवाही न होने पर यह परिवाद प्रस्तुत किया है।

परिवादी द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में नकल प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, रजिस्ट्री रसीद, छायाप्रति राशन कार्ड तथा छायाप्रति रसीद आधार कार्ड पंजीयन प्रस्तुत किये हैं।

परिवादिनी द्वारा घटना के संबंध में स्वयं धारा 200 दं0प्र0सं0 में परीक्षित कराया है जिसमें उसने बताया कि उसकी शादी दिनांक 24.06.2012 को राजेन्द्र से रानीपुर में हुई थी। शादी के बाद से ही एक लाख रुपये व मोटर साइकिल की मांग करने लगे। मेरे मना करने पर राजेन्द्र, दुर्जन, जशोदा, मीना व हरिश्चन्द्र ने मेरे साथ लात घूंसों व लाठियों से मारपीट की तथा गाली–गलौज की एवं घर से निकाल दिया। परिवादिनी के इन कथनों का समर्थन साक्षियों प्रेमनारायण व राजेश कुमार ने धारा 202 दं0प्र0सं0 के बयानों में किया है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था मंशूकलाल व अन्य वनाम उ0प्र0 राज्य 2016(2) जे0आई0सी 99 इलाहाबाद में अभिमत व्यक्त किया गया है कि "At the stage of summoning a court is not required to make robing enquiry in the factual detail of the case" इस प्रकार तलबी के स्तर पर न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का सूक्ष्म विशलेषण नहीं किया जा सकता है। अपितु न्यायालय को इस तथ्य को देखना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध कारित करने का साक्ष्य है अथवा नहीं।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्तगण राजेन्द्र प्रसाद, दुर्जन व श्रीमती जशोदा के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने, मारपीट करने, गाली–गलौज करने तथा अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये तथा मोटर साइकिल की मांग करने का मामला बनना प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्तगण राजेन्द्र प्रसाद, दुर्जन व श्रीमती जशोदा, प्रथम दृष्टया धारा 498ए, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3/4 द0प्रति0अधि0 में विचारण हेतु तलब होने योग्य हैं।

## : : आदेश : :

अभियुक्तगण राजेन्द्र प्रसाद, दुर्जन व श्रीमती जशोदा को प्रथम दृष्टया धारा 498ए, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3/4 द0प्रति0अधि0 में विचारण हेतु तलब किया जाता है। पैरवी अन्दर सप्ताह की जावे। हाजिरी हेतु दिनांक 24.01.2018 को पेश हो।

**(राहुल कुमार सिंह)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी